एनपीसीआईएल NPCIL/जीएचएवीपी GHAVP/सीटीसी CTC/2024/**193**

दिनांक Date: 21/09/2024

सेवा में To,

मैसर्स गैलेंट स्पोर्ट्स एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
M/s. Gallant Sports & Infra Private Limited
यूनिट 424, एरोस सिटी स्क्वायर, सेक्टर 49
Unit 424, Eros City Square, Sector 49,
गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया Gurugram, Haryana, India.
पिन सं./ PIN No. 122018
मोबाइल नंबर/ Mobile No.: 80581-76176
ई-मेल/ E-mail: imran@gallantsports.in, nasir@gallantsports.in

WOS	:	11110294
Sub-Led	:	GSIPL06_G
A/C Code	:	78205
MSME Status	:	NA
MSME Reg. No.	:	NA
PAN No.	:	AAGCG3428F
GST No.	:	06AAGCG3428F1ZU

विषय: "कार्य आदेश" के संबंध में

Sub: -"WORK ORDER"- regarding.

कार्य का नाम: सीएसआर कार्यों के अंतर्गत ग्राम – बैजलपुर, जिला – फतेहाबाद में एफआईएच दिशा निर्देशों के अनुसार मिनिमम फील्ड केटेगरी - II टर्फ हॉकी ग्राउंड के निर्माण का कार्य।

Name of work: Construction of Turf Hockey Ground of minimum field category – II as per FIH guidelines at village Baijalpur, Dist. Fatehabad under CSR works.

संदर्भ Ref: 1) निविदा सं. एनपीसीआईएल/जीएचएवीपी/सीटीसी/2024/पीटी-232
Tender No. - NPCIL/GHAVP/CTC/2024/PT-232
2) **दिनांक को प्रस्तुत आपका ऑफर Your offer submitted on date: 07/08/2024**
3) **मूल्य समझौते एवं दर स्पष्टीकरण बैठक का पत्र, संदर्भ सं. एनपीसीआईएल/जीएचएवीपी/सीटीसी/2024/177, दिनांक 05/09/2024**
Letter regarding Price Negotiation & rate clarification meeting, Ref No. NPCIL/GHAVP/CTC/2024/177, dtd: 05/09/2024
4) **मूल्य समझौते एवं दर स्पष्टीकरण बैठक, दिनांक 06/09/2024**
Price Negotiation & rate clarification meeting, dtd: 06/09/2024.

महोदय Dear Sir,

कृपया उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा संख्या एनपीसीआईएल/जीएचएवीपी/सीटीसी/2024/पीटी-232 के जवाब में आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा का संदर्भ लें जिसे दिनांक 09/08/2024 को खोला गया और तत्पश्चात मूल्य बोली को दिनांक 27/08/2024 को खोला गया।

सुधीर कुमार

Please refer to your above cited tender submitted by you in response to NIT No. NPCIL/GHAVP/CTC/2024/PT-232 for the above work and opened on 09/08/2024 and subsequent Price bid opened on 27/08/2024.

1. आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा और तत्पश्चात उपर्युक्त संदर्भित मोलभाव बैठक में मात्राओं की सूची में दर्शाए कार्य की मदों तथा निविदा द्वारा कवर किए गए अनुलग्नक-"I" की दरों के लिए सभी करों व शुल्कों (@18% जीएसटी सहित) सहित **₹ 7,17,77,715.00/-** (रुपये सात करोड़ सत्रह लाख सतत्तर हजार सात सौ पंद्रह केवल) की कुल लागत के लिए एनपीसीआईएल, जीएचएवीपी के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

This is to inform you that tender submitted by you and subsequent negotiation meeting referred above has been accepted for and on behalf of NPCIL, GHAVP for the items of work shown in the schedule of quantities and rates at Annexure-"I" covered by the tender for a total cost of **₹ 7,17,77,715.00/- (Rupees Seven Crore Seventeen Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Fifteen Only)** inclusive of all taxes and duties (Including GST @18%).

2. **दरें RATES:**

अनुलग्नक-I (मात्राओं की सूची व दरें) में दी गई आपके द्वारा उद्धृत दरें सामग्रियों की आपूर्ति (जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों), कंज्यूमेबल्स, समस्त अस्थायी व्यवस्थाएं, समस्त श्रम, समय-समय पर लागू वसूली, आकस्मिक प्रभार एवं निविदा में उद्धृत नियम व शर्तों और विनिर्देशों के अनुसार समस्त करों (जीएसटी सहित) आदि, कार्य की सम्पूर्ण मदों के लिए हैं। निविदा की पूर्ण अवधि के लिए दरें अटल रहेंगी।

The rates quoted by you as given in **Annexure –"I"** (Schedule of Quantities and rates) are for complete items of work including supply of all materials (unless otherwise specified), consumables, all temporary arrangements, all labors, levies applicable from time to time, incidental charges and as per terms, conditions and specifications mentioned in the tender and all taxes (Including GST). The rates will remain firm till the entire period of contract.

2.1 **एएचआर मदें AHR items:**

कोई भी एएचआर आईटम नहीं है। No AHR items.

3. कार्य को निविदा दस्तावेजों में अनुबद्ध नियम व शर्तों, स्थितियों, विनिर्देशों तथा ड्राईंग के अनुसार कड़ाई से और उत्तम कारगर तरीकों से किया जाएगा। आप कार्य में पूरे समय आर्हता प्राप्त अभियंता/पर्यवेक्षक/जनबल आदि को नियुक्त करेंगे और उन्हें बनाए रखेंगे। आप साइट पर ऐसी मशीनें व उपकरण तथा अन्य सामग्री को लाएंगे और लगाएंगे जो इस कार्य को संतोषजनक पूर्ण करने के लिए आवश्यक होंगी।

The work shall be carried out strictly in accordance with the terms, conditions, specifications and drawings etc., as stipulated in the tender documents and also in the best workmanlike manner. You shall employ and maintain qualified Engineers/ supervisors / manpower etc. in the job at all times. You shall also bring to the site and employ such machinery and equipment and other materials as are necessary for the satisfactory completion of this work.

4. **निविदा की अवधि PERIOD OF CONTRACT:**

अनुबंध की अवधि आरम्भ कि तिथि (मानसून अवधि, रविवार तथा अवकाशों सहित) से **'12'** (अर्थात् बारह) कैलेण्डर माह है। कार्य की शुरूआत इस कार्य आदेश को जारी करने की तिथि से **15 दिनों** में होनी चाहिए। अनुबंध की मूलवस्तु समय होगा और कार्य को, कार्य के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जाएगा।

The period of contract is **'12'** Calendar Months i.e. **(Twelve)** Months from the date of commencement (including monsoon period, Sundays and holidays). Work should commence within **15 days** from the date of issue of this work order. The time shall be essence of the contract and work shall be completed as per approved programme of work.

5. **मूल्य में तबदीली व समायोजन PRICE VARIATION & ADJUSTMENT:**

मूल्य में तबदीली एवं समायोजन, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी), खण्ड सं. 11 के अनुसार लागू नहीं है।
Price variation and adjustment is not applicable as per General Condition of Contract (GCC) Clause no. 11.

6. आपसे अधिकृत प्रतिनिधि का नाम सूचित करने का अनुरोध है जो अनुबंध के संबंध में समस्त मामलों का व्यवहार और उसके पक्ष में मुख्तारनामा करेगा जिसे विधिवत् रूप से उचित मूल्य के मुद्रांक कागज पर तामील किया जाएगा।

You are requested to inform the name of the Authorized Representative who will deal with all matters relating to the contract and the power of Attorney in his favour, duly executed on stamp paper of an appropriate value shall be furnished.

7. **बीमा INSURANCE:**

कार्य निष्पादन के दौरान तथा जब तक आपको पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता, आप पर आरोप्य कारणों के कारण उत्पन्न होने वाले तृतीय पक्षकार के जोखिम जिनका निर्णय प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा तथा जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा, सहित किसी भी क्षति अथवा कार्य ढाँचे, सम्पत्ति की तोड़ फोड़ की क्षतिपूर्ति करने के लिए आप जिम्मेवार होंगे।

During the execution of the contract and until completion certificate is issued you will be fully liable to compensate all concerned for any loss, damage or destruction of 'work' structure, property etc. including third party risk arising due to causes attributable to you which will be decided by the Engineer-in-Charge whose decision in this regard will be final.

संविदाकार, निगम तथा संविदाकार दोनों के संयुक्त नामों पर कार्य आरम्भ होने की तिथि से अपूर्णता देयता अवधि तक बीमा कवर प्रदान करेगा। संविदाकार सम्पूर्ण अनुबंध मूल्य की ठेकेदार की समस्त जोखिमों की पॉलिसी लेने के लिए जवाबदेह होगा। ठेकेदार की समस्त जोखिमों की पॉलिसी के अतिरिक्त, ठेकेदार को अनुबंध मूल्य की 10% तक की अथवा निविदा दस्तावेज के अनुसूची-ए के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये मूल्य की तृतीय पक्षकार जवाबदेही की बीमा पॉलिसी भी लेगा।

The Contractor shall provide in the joint names of the Corporation and the Contractor, insurance cover from the date of commencement of work to the end of the Defects Liability Period. The Contractor is liable to take Contractor's all risk policy for the whole contract value. Apart from Contractor's all risk policy, the contractor shall also take insurance policy to cover third party liability for 10% of the contract value subject to a maximum of Rs 50 lakhs as per **Schedule-'A'** of tender document.

इसके अतिरिक्त , ठेकेदार पंजीकरण करवाएगा और अनुबंध में लगाए गए समस्त पात्र कार्मिकों / कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कवर करेगा (पात्रता के निर्णय के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत भारत सरकार की अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है)। ठेकेदार को उन कार्मिकों/ कर्मचारियों, जो जीसीसी की खण्ड सं. 5.4 के अनुसार ईएसआई अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए हैं, के लिए क्षतिपूर्ति पॉलिसी को भी जमा करना होगा।

In addition to this the contractor shall also take Registration and coverage under the Employee State Insurance Act to all eligible workmen / employees deployed in the contract. (For deciding eligibility notification of Govt. of India under the ESI Act may be referred). Contractor has to also submit

सुधीर कुमार

workmen compensation policy for the workmen / employees who are not covered under the ESI Act as per clause no. 5.4 of GCC.

ठेकेदार को सभी बीमा पॉलिसी की प्रतियाँ कार्य आदेश के अनुसार साइट पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रभारी अभियंता को जमा करवानी होंगी।

Contractor has to submit the copies of all Insurance policy to Engineer-in-charge prior to the date of commencement of work as per Work Order at site.

8. कर TAXES:

आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के अनुसार स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) तथा अन्य वैधानिक कटौतियाँ आदि को जो इस अनुबंध पर लागू हैं, जैसा कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, बिल जारी करते समय आपके बिल से वसूल किया जाएगा। बिल्डिंग व अन्य निर्माण कार्य (बीओसीडबल्यू) उपकर आपके द्वारा देय होगा जैसा कि राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा लागू है। बीओसीडबल्यू चालान की प्रति बिलों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थायी खाता संख्या (पीएएन) व जीएसटी की सूचना दें। इस कार्य आदेश के तहत दी गई सेवा के लिए आपकी कम्पनी की पंजीकरण संख्या को प्रभारी अभियंता को देना होगा।

Tax deducted at source **(TDS)** as per Income Tax Act, GST Act and other statutory levies etc. as applicable on this contract, as notified by Central / State Govt. from time to time, at the time of release of bills, shall be recovered from your bills. Building and other construction work **(BOCW)** cess is payable by you as applicable by State Govt. / Central Govt. copy of BOCW challan may be submitted along with bills. You are requested to intimate your permanent account number **(PAN)** & Goods and service tax **(GST)** Registration No. of your company for service offered under this work order to Engineer-In-Charge.

9. प्रभारी अभियंता ENGINEER-IN-CHARGE:

इस कार्य के लिए **श्री नितेश बुधानी, वै. अधि./ई. (सिविल)** प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे अनुरोध है कि प्रभारी अभियंता से परामर्श के साथ तत्काल कार्य आरम्भ करने की आवश्यक व्यवस्थाएं करने का कष्ट करें।

Shri Nitesh Budhani, SO/E (Civil) will be the Engineer-in-charge of this work. You may make necessary arrangements for commencing the work immediately in consultation with the Engineer-in-charge.

10. प्रतिभूति जमा SECURITY DEPOSIT:

कृपया नोट करें कि प्रतिभूति जमा **₹ 71,77,772.00/- (रुपये इकहत्तर लाख सतत्तर हजार सात सौ बहतर केवल)** होगी (अनुबंध मूल्य के 10% की दर से)। कार्य आदेश जारी किए जाने के बाद आरम्भ में 30 दिनों के भीतर आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार **₹ 35,88,886.00/- (रुपये पेंतीस लाख अट्ठासी हजार आठ सौ छियासी केवल)** (प्रतिभूति जमा का 50%) की परफोर्मेंश बैंक गारंटी जमा करनी होगी:

You may please note that security deposit will be **₹ 71,77,772.00/- (Rupees Seventy One Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Seventy Two Only)** (@ 10% of the contract value). Initially you will have to submit a performance guarantee for **₹ 35,88,886.00/- (Rupees Thirty Five Lakh Eighty Eight Thousand Eight Hundred Eighty Six Only)** (50% of Security Deposit) within 30 days after issue of work order.

सुधीर कुमार

प्रतिभूति की शेष 50% की **₹ 35,88,886.00/- (रुपये पेंतीस लाख अट्ठासी हजार आठ सौ छियासी केवल)** राशि को सम्पूर्ण राशि की वसूली होने तक प्रत्येक बिल की 6% की दर से आरए बिल /अन्तिम बिल से वसूला जाएगा। **प्रतिभूति जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।**

The rest 50% amount of security deposit of **₹ 35,88,886.00/- (Rupees Thirty Five Lakh Eighty Eight Thousand Eight Hundred Eighty Six Only)** will be recovered from the RA bill/ final bill at the rate of 6% of each bill till the recovery of full amount. **Security Deposit amount will not bear any interest.**

11. आप अनुबंध श्रम (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम-1970 तथा उसके बाद समय-समय पर बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। यदि आपके संगठन पर अनुबंध श्रम अधिनियम लागू नहीं होता, तो आपको कार्य आरम्भ करने से पूर्व इस कार्य के बारे में प्रभारी अभियंता को तद्नुसार सूचित करना होगा। इससे आगे, आपको अन्य कानूनों के प्रावधानों जैसे कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआई)-1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1965, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम-1952, उपदान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम-1965 व अन्य श्रम कानून का अनुपालन करना होगा। विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के तहत प्रमुख नियोक्ता के रूप में यदि एनपीसीआईएल को कोई खर्च उठाना पड़ा, तो एनपीसीआईएल को इसकी वसूली आप/आपके बिलों से करने का हक होगा।

You shall comply with various provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act-1970 and Rules framed thereafter from time to time. In case the Contract Labour Act does not apply to your organization you should intimate the Engineer-in-charge of this work accordingly before commencing the work. Further you shall also comply with the provisions of other laws such as Workmen's Compensation Act-1923 Employees' state insurance act (ESI)-1948, Minimum Wages Act-1948, Employee provident fund (EPF) Act – 1952, Gratuity Act, Payment of Bonus Act - 1965, and other Labour Laws. In case NPCIL is required to incur any expenses as Principal Employer under the provisions of the various laws, NPCIL shall be entitled to recover the same from you/your bills.

12. इस कार्य के लिए आपके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों की अधिकतम संख्या के प्रस्ताव के आधार पर श्रम अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए प्रमुख नियोक्ता प्रमाणपत्र आपके अनुरोध पर जारी किया जाएगा। आपके द्वारा इंगित कार्मिकों की अधिकतम संख्या का श्रम लाइसेंस लेने के लिए आपको क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त को आवेदन इस कार्य आदेश हेतु पीईसी जारी करने की तिथि से 14 दिनों के भीतर करना होगा। इस आवेदन पत्र की एक प्रति कार्य के प्रभारी अभियंता को कार्य आरम्भ होने से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

Principal Employer's Certificate **(PEC)** for obtaining labour license based on the maximum number of workmen you proposed to employ for this work will be issued on your request. You will have to apply for a labour license to the Asstt. Labour Commissioner, of the area, for the maximum number of workers you had indicated to engage on the work within **14 days** from the date of issue of PEC for this work order. A copy of the application will have to be furnished to the Engineer-in-charge of the work within a week time from start of work.

13. **भुगतान की शर्तें PAYMENT TERMS:**

कार्य आदेश में मात्राओं की सूची व दरों में निहित समस्त मदों के संबंध में भुगतान, जीसीसी, एसएससी के अनुसार व आप पर लागू जीएसटी इन्वायस जमा करने के बाद व संयुक्त मापन के साथ कार्य के बिलों को जमा करने पर मासिक आरए बिलों के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान प्राधिकारी **प्रबंधक (वि.एवं ले.), एनपीसीआईएल** होंगे।

In respect of all items in the schedule of quantities and rates of Work order, the payments shall be made on submission of bills for the work along with the joint measurements, through monthly RA bills,

सुधीर कुमार

as per GCC, SCC & against submission of GST invoice as applicable to you. Paying authority will be **Manager (F&A), NPCIL.**

आपको इस कार्य के प्रभारी अभियंता को कार्य आदेश जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति जमा करानी होगी:

You shall submit self-attested copy of the following to the Engineer-in-charge of this work within a month from the date of issue of the Work order:

- पैन संख्या **PAN No.**
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र **GST Registration Certificate.**
- कार पॉलिसी / ईएआर पॉलिसी **CAR Policy / EAR policy.**
- तृतीय पक्षकार देयता **Third Party Liability.**
- कार्मिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी (यदि लागू हो) **Workman Compensation Policy (If Applicable)**
- ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाणपत्र **ESIC Registration Certificate.**
- ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र **EPF Registration Certificate.**
- श्रम लाइसेंस (यदि लागु हो तो) **Labour license (if applicable).**
- मुख्तारनामा/भागीदारी विलेख/एकल भागीदारी **Power of Attorney / Partnership deed / Sole proprietorship**
- कार्य आदेश स्वीकृति **Work order acceptance.**
- निम्नानुसार बैंक दस्तावेजों का विवरण: **Details of Bank A/c documents are as given below:**
  1. पार्टी/लाभार्थी का नाम **Name of the Party/Beneficiary:**
  2. बैंक का नाम **Name of the bank:**
  3. खाता संख्या **Account Number:**
  4. कैंसल चैक के साथ आईएफएससी कोड संख्या **IFSC Code Number along with cancelled cheque leaf.**

निम्नानुसार भुगतान का क्लियरेंस होगा) The payment clearance is as below:-

प्रथम आरए बिल का भुगतान उपर्युक्त के अनुसार तथा एससीसी की खण्ड संख्या 10 के अनुसार दस्तावेजों को जमा करने के उपरांत किया जाएगा।

First RA bill will be paid after submission of documents as per above and as per Clause No. 10 of SCC.

अन्तिम बिल के भुगतान के लिए, ठेकेदार निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

For payment of the Final Bill, the contractor shall furnish the following additional documents: -

अन्तिम बिलों के निपटारे से पहले ठेकेदार उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर यह आश्वासन देगा कि लागू ईपीएफ व अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और भविष्य में इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त किसी भी दावे के लिए वह उत्तरदायी होगा।

The contractor shall indemnify, on stamp paper of appropriate value, before settlement of final bills that provisions of EPF & Act, 1952 as applicable have been complied with and he will stand responsible for any future claims, in this regard, received through Central and State Government.

सुधीर कुमार

14. करार AGREEMENT:

हरियाणा राज्य स्टैम्प शुल्क अधिनियम के अनुसार आपको अपने व एनपीसीआईएल के संयुक्त नाम पर एक स्टैम्प पेपर बनवाकर कार्य आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करार पर हस्ताक्षर करने हेतु आपसे कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध है। जब तक कि एक औपचारिक करार दस्तावेज नहीं बन जाता, तब तक संदर्भाधीन पत्रों सहित मूल निविदा दस्तावेज हमारे बीच में अनुबंध करार के रूप में होंगे।

You are requested to submit a stamp paper as per Haryana State Stamp Duty Act jointly in your name & NPCIL to Engineer in charge within a week of receipt of work order. You are requested to attend the office for signing the agreement within 60 days from the date of issue of this work order. Till a formal agreement document is executed, the original tender together with letters under reference and this Work order shall form the binding contract between us.

15. अन्य समस्त नियम व शर्तें जिन्हें इस कार्य आदेश में विशिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, निविदा दस्तावेज के अनुसार के अधीन होंगी।

All other terms and conditions not specifically brought out in this work order shall be governed as per tender document.

कृपया इस कार्य आदेश की पावति दें। Kindly acknowledge the receipt of this Work Order.

धन्यवाद Thanking You

भवदीय Yours faithfully,

21/09/2024

मुख्य अभियंता (सिविल-एन.एन.बी.)
Chief Engineer (Civil-NNB)
गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत् परियोजना
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के लिए एवं की ओर से
Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana
For and on behalf of Nuclear Power Corporation of India Ltd.

अनुलग्नक: 1. मात्राओं व दरों की सूची – संलग्नक- "I"
Encl: 1. Schedule of Quantities and Rates - Annexure-**"I"**

सुधीर कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2024.11.07 17:42:47 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs